न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 169 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. थानाराम पुत्र मगाराम 2. धापू पुत्री मगाराम 3. सुनीता पुत्री मगाराम 4. दलू पुत्री मगाराम जाति जाट निवासी मेगवालों की ढाणी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी	1. मगाराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी मेगवालों की ढाणी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 26.06.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीनी वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थिगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि मौजा मेगवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में मूल खसरा संख्या 247 से विभक्त होकर नवसृजित खसरा नम्बर 492/247 वर्तमान खसरा नम्बर 506/492 रकबा 1.6409 हेक्टयर के आया हुआ है। जो भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पूर्वज से पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण मगाराम के विधिक वारिस होने के कारण उक्त खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है। ... वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का पृथक–पृथक ... 1/5–1/5 हिस्सा ... पर कब्जा काश्त परन्तु राजस्व रेकर्ड की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर विप्रार्थी संख्या 1 आराजी का हस्तातंरण अन्यत्र करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और यदि वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीनीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में जब समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावें कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा मेगवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 506/492 रकबा 1.64209 हेक्टयर में प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही किसी प्रकार बेचान, हस्तातंरण करें तथा वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी प्रार्थिगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि मौजा मेगवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में मूल खसरा संख्या 247 से विभक्त होकर नवसृजित खसरा नम्बर 492/247 वर्तमान खसरा नम्बर 506/492 रकबा 1.6409 हेक्टयर के आया हुआ है। जो भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पूर्वज से पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण मगाराम के विधिक वारिस होने के कारण मगाराम की खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का पृथक–पृथक रूप से 1/5–1/5 हिस्सा पर कब्जा काश्त परन्तु राजस्व रेकर्ड की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर विप्रार्थी संख्या 1 आराजी का हस्तातंरण अन्यत्र करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीनीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। जंहा तक प्रार्थीनी की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्वोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:45 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पावंद किया जाता है कि वे मौजा मेगवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में मूल खसरा संख्या 247 से विभक्त होकर नवसृजित खसरा नम्बर 492/247 वर्तमान खसरा नम्बर 506/492 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

6409 हेक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner